ऑन लाईन नं. RCMS 2020/00111

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : भवानी सिंह पंवार, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 23/2020

श्री हरीराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. हरिचन्द पुत्र श्री भगवानाराम चौहान निवासी मकान नम्बर 903, वार्ड नम्बर 19, लीला चौंक, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर।
2. मै0 सभ्यता फूड प्रोडक्टस,मकान नम्बर 903, वार्ड नम्बर 19, लीला चौंक, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर।

—नमूना विक्रेता एवं मालिक—

अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(2)/52

निर्णय दिनांक : 30.06.2021

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री हरिराम वर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 17.05.2017 को कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर द्वारा दिनांक 17.05.2017 से वर्तमान कार्यक्षेत्र के अतिरिक्त जिला श्रीगंगानगर कार्यक्षेत्र अग्रिम आदेशों तक आवंटित किया है।

श्री हरिराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं श्री प्रवीण खत्री वरिष्ठ सहायक (एलडीसी), कार्यालय अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर दिनांक 29.01.2020 को दोपहर बाद 2.00 बजे वास्ते निरीक्षण फर्म मै0 सभ्यता फूड प्रोडक्टस्, मकान नम्बर 903, वार्ड नम्बर 19, लीला चौंक, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर पर पहुंचे। वहां पर हरिचन्द्र पुत्र श्री भगवानाराम चौहान उम्र—48 वर्ष उपस्थित मिला जिसने स्वयं को फर्म का मालिक बताया। उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया और परिचय लिया। परचिय देकर प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया तो मैसर्स सभ्यता फूड प्रोडक्टस में एक अलमारी में 500 ग्राम वजनी पोलीथीन पाउच में 40 पैकिट **Gazzak (Hari Bhai Kazi)** के रखा पसाया गया। जिन्हें उपस्थित ने आमजन को विक्रय हेतु बताया । इसमें मिलावट का शक होन पर /शुद्वता की जांच हेतु नमूना संख्या के—1025 के नमूनीकरण की सूचनार्थ विक्रेता को फार्म नम्बर 05 ए की एक प्रति प्रदान कर विक्रेता को बताया कि **Gazzak (Hari Bhai Kazi)** का यह नमूना वास्ते जांच लिया जा रहा है। फार्म नम्बर

जिला पंजीयक श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

5ए पर नमूना विक्रेता हरिचन्द एवं गवाहान ने पढ़कर समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किए एवं तस्दीक कर स्वयं मैने हस्ताक्षर किए।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थ **Gazzak (Hari Bhai Kazi)** के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत, जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की तो वहां किराना स्टोर में 4 सील्ड पोलीथीन पाउच नमूना संख्या **के–1025 के** नमूनीकरण के लिए खरीदा जिसकी कीमत 180/– रूपये (अखरे रूपये एक सौ अस्सी मात्र) अदा की एवं खरीदी रसीद तैयार की, तथा उपस्थित गवाहान श्री प्रवीण खत्री एवं श्री मांगीलाल के हस्ताक्षर करवाये। फार्म संख्या 5ए तैयार किया, खाद्य कारोबारकर्त्ता श्री हरिचन्द एवं गवाहों के हस्ताक्षर करवायें एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नं 05 की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्त्ता को देकर रसीद प्राप्त की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद शुदा **Gazzak (Hari Bhai Kazi)** के सील्ड 4 पोलीथीन पाउच पर अलग–अलग, खाद्य नमूना कोड का अनुक्रमांक **के–1025** एवं अन्य विवरण युक्त लेबल चिपका कर चार नमूना भाग बनाए और लेबलों पर नमूना विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर मैने भी हस्ताक्षर किए। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षयुक्त पेपर स्लिप **के–1025** को नियमानुसार नीचे से ऊपर गोंद से चिपकाया, प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्त्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाएं एवं स्वयं ने हस्ताक्षर किये, चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य विक्रेता ने पढकर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

फूड एनालिस्ट राजस्थान जयपुर द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/148/एक्ट/2020/211 दिनांक 06.02.2020 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना के–1025 **Gazzak (Hari Bhai Kazi) अमानक स्तर** (Misbraned Food) होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त हरिचन्द पुत्र भगवानाराम चौहान निवासी मकान नम्बर 903, वार्ड नम्बर 19, लीला चौंक, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **Gazzak (Hari Bhai Kazi)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(2)/52 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 18.09.2020 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

जिला पंजीयक
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रार्थी के विरूद्व आपके न्यायालय में न्याय निर्णयन आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा खाद्व सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, की धारा 26(2)(2)/52 के अन्तर्गत पेश कर वर्णित किया है कि दिनांक 29.01.2020 को दोपहर बाद 2.00 बजे मै सभ्यता फूड प्रोडक्टस, श्रीगंगानगर , पहुंचकर प्रार्थी की एक आलमारी में 500 ग्राम वजनी पॉलीथीन पाउच में 40 पैक्ट **Gazzak (Hari Bhai Kazi)** मौजूद थी जो बाद जांच **MISBRANDED** पायी गई। प्रार्थी की अनभिज्ञता होने के कारण एवं पूर्ण विधि की जानकारी नहीं होने के कारण, उक्त कृत्य कारित हुआ। प्रार्थी जानबूझकर किसी विधि की अवज्ञा नहीं करना चाहता था ना ही भविष्य में करेगा। प्रार्थी उक्त भूल को स्वीकार की जाकर प्ररकण में क्षमा प्रार्थना के साथ प्रार्थी की आर्थिक स्थिति को देखते हुए जुर्माना लगाए जाना हेतु अनुरोध करता है कि कॉरोना एवं विषम परिस्थितियों को देखते हुए जुर्माना लगाए जाना हेतु अनुरोध करता है कि कॉरोना एवं विषम परिस्थितियों को देखते हुए कम से कम जुर्माना राशि अधिरोपित की जावें ताकि प्रार्थी जुर्माना भर सकें।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **Gazzak (Hari Bhai Kazi)** का सैम्पल **के–1025** जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/148/एक्ट/2020/211 दिनांक 06.02.2020 द्वारा (Misbraned Food) होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की उप धारा **26(2)(2)/52** के तहत जुर्माना योग्य अपराध साबित होता है। जिसमें अधिकतम 5,00,000 रूपये की शास्ति का प्रावधान है।

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कहा है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रार्थी के विरूद्व आपके न्यायालय में न्याय निर्णयन आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा खाद्व सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, की धारा 26(2)(2)/52 के अन्तर्गत पेश कर वर्णित किया है कि दिनांक 29.01.2020 को दोपहर बाद 2.00 बजे मै सभ्यता फूड प्रोडक्टस, श्रीगंगानगर , पहुंचकर प्रार्थी की एक आलमारी में 500 ग्राम वजनी पॉलीथीन पाउच में 40 पैक्ट **Gazzak (Hari Bhai Kazi)** मौजूद थी जो बाद जांच **MISBRANDED** पायी गई। प्रार्थी की अनभिज्ञता होने के कारण एवं पूर्ण विधि की जानकारी नहीं होने के कारण, उक्त कृत्य कारित हुआ। प्रार्थी जानबूझकर किसी विधि की अवज्ञा नहीं करना चाहता था ना ही भविष्य में करेगा। प्रार्थी उक्त भूल को स्वीकार की जाकर प्ररकण में क्षमा प्रार्थना के साथ प्रार्थी की आर्थिक स्थिति को देखते हुए जुर्माना लगाए जाना हेतु अनुरोध करता है कि कॉरोना एवं विषम परिस्थितियों को देखते हुए जुर्माना लगाए जाना हेतु अनुरोध करता है कि कॉरोना एवं विषम परिस्थितियों को देखते हुए कम से कम जुर्माना राशि अधिरोपित की जावें ताकि प्रार्थी जुर्माना भर सकें।

इस प्रकार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 49 के प्रकाश में, यह मानते हुए कि अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, अभियुक्त हरिचन्द पर (Misbraned Food) **Gazzak (Hari Bhai Kazi)** विक्रय करने पर धारा 52 के तहत

जिला पंजीयक
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) श्रीगंगानगर (राज.)

शास्त्रि 10000/–रूपये (अखरे रूपये दस हजार) शास्ति अधिरोपित की जाती है। साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त **Gazzak (Hari Bhai Kazi)** का विधिक प्रावधानानुसार व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत विधिक नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण करें।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में **Gazzak (Hari Bhai Kazi)** के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.06.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह पंवार)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्रीगंगानगर